(323)

(431)

न्यायालय मे श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0
रा0प्र0क्र0 / / निगरानी / अ–6 / 2012–2013

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

R - 1668 - III/13

श्रीमती केतकीबाई धर्मपत्नी रामदयाल गुप्ता उम्र 46 वर्ष नि0 ग्राम गिरूईबड़ी पो0 कनाडीखुर्द थाना एवं तहसील जयसिंहनगर जिला–शहडोल म0प्र0
.......**निगरानीकर्ता / आवेदिका**

बनाम्

1.विजय कुमार पिता मदनलाल जयसवाल
2.विनोद कुमार पिता शंकरलाल जयसवाल
दोनो नि0ग्राम पो0 जयसिंहनगर वार्ड क्र0–12 थाना व तहसील जयसिंहनगर
जिला–शहडोल म0प्र0 ....**गैरनिगराकारगण / अनावेदकगण**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50
म0प्र0 भू रा0 सं0 1959
निगरानी निर्णय विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय शहडोल जिला शहडोल म0प्र0 के रा0प्र0क्र0 / 59 / निगरानी / अ–6 / 2011–2012 निर्णय दिनांक 31.01.2013 से व्यथित होकर

2/5/13

मान्यवर,

निगरानी पेश कर विनय है कि–

1. यह कि मामले का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि शंकरलाल एवं मदनलाल दोनो सगे भाई है, तथा ग्राम छतेरी जिला बनारस उ0प्र0 के मूल निवासी है। वर्ष 1960–61 मे दोनो ग्राम जयसिंहनगर मे बहन फूलकुमारी के यहाँ रहकर सम्मिलित व्यापार करने लगे। मदनलाल का पुत्र गैरनिगराकार क्र0–1 तथा शंकरलाल का पुत्र गैरनिगराकार क्र0–2 है। शंकरलाल व मदनलाल दोनो भाई शामिल–शरीक रहकर महुआ–डोरी खरीदने का व्यवसाय करते थे। उक्त व्यवसाय से प्राप्त आमदनी से ग्राम जयसिंहनगर प0ह0 जयसिंहनगर तहसील जयसिंहनगर जिला–शहडोल म0प्र0 स्थित भूमि नंबर 493 / 1 जिसका बाद मे बटा नंबर बदलकर 493 / 3 रकबा 0.15ए0 यानी 0.061 हे0 भूमि अर्जित किये। मदनलाल पढा लिखा काफी चतुर चालाक व्यक्ति है, के व्दारा राजस्व रिकार्ड मे अपने पुत्र गैरनिगराकार क्र0–1 का नाम भूमि स्वामी के रूप मे दर्ज करवा लिया। वर्ष 1984 में शंकरलाल के मृत्यु पश्चात् वर्ष 1985 मे गैरनिगराकार क्र0–1 व्दारा जिला न्यायाधीश महोदय शहडोल के यहाँ स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा गैरनिगराकार क्र0–2 के कच्चा मकान मे अधिपत्य प्राप्त करने का सिविल सूट प्रस्तुत किया। व्यवहार बाद क्र0 / 11अ / 1985 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.1989 *पी–1* के चरण–23 मे विनिश्चित किया गया कि–– *"वादी की ओर से यह स्थापित नही किया गया है कि– बाद भूमि एवं उस पर बने हुये मकान संयुक्त परिवार की सम्पत्ति न होकर वादी की स्वअर्जित सम्पत्ति है। इसके विपरीत मदनलाल व शंकरलाल का संयुक्त परिवार होना, एवं संयुक्त*

01/05/13
(डी.पी.तिवारी,
एडवोकेट

(323)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–1668-III / 13 जिला–शहडोल

केतकी बाई / विजय कुमार जयसवाल

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अजीत सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला शहडोल के प्रकरण क्रमांक 59 / निगरानी / अ6अ / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.07.19 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	